# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

*पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.*

*(प्रथम लिंक अधिकारी)*

2025-687RAAbarmer2025-189RTA225 Chimaram ors VS Achalaram etc

01. चिमाराम पुत्र चेतनराम
02. बगाराम पुत्र चेतनराम
03. राजोंदेवी पत्नि चेतनराम
04. देराजराम पुत्र शोभाराम
05. धुडाराम पुत्र शोभाराम
06. हडुमानराम पुत्र शोभाराम
07. हंजारीराम पुत्र शोभाराम
08. मगाराम पुत्र शोभाराम
09. रामाराम पुत्र शोभाराम
10. लच्छाराम पुत्र चौखाराम
11. ताजाराम पुत्र चौखाराम

जाति सुथार निवासी चिडिया सुथारों की ढाी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

अपीलाण्ट्स ...

**ब**
**ना**
**म**

1. अचलाराम पुत्र हुकमाराम
2. जगराम पुत्र हुकमाराम
3. भीखीराम पुत्र हुकमाराम
4. मूलाराम पुत्र हुकमाराम फौत के कायम मुकाम
   - 4.1. धनाराम पुत्र मूलाराम
   - 4.2. पेमाराम पुत्र मूलाराम
   - 4.3. हरखाराम पुत्र मूलाराम
   - 4.4. चुतराराम पुत्र मूलाराम फौत के कायम मुकाम
     - 4.4.1. लीलादेवी पत्नि चुतराराम
     - 4.4.2. जसी पुत्री चुतराराम
     - 4.4.3. विक्रम पुत्र चुतराराम
     - 4.4.4. गौरव पुत्र चुतराराम
   - 4.5. कमलादेवी पुत्री मूलाराम
   - 4.6. नेनूदेवी पुत्री मूलाराम
5. वालाराम पुत्र भेराराम
6. हरजीराम पुत्र भेराराम
7. भानाराम पुत्र चेतनराम

   जाति सुथार निवासी चिडिया सुथारों की ढाी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
8. भूमिपति तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 04 दिसंबर 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी राजस्व प्रार्थना पत्र सं 156/2025 अनवान अचलाराम बनाम चिमाराम इत्यादि

उपस्थित–

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

श्री पन्नाराम जांगिड़, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री हरीराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक

## नि र्ण य

दिनांक : 13 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 156/2025 अनवान अचलाराम बनाम चिमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 04 दिसंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 15 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नंबर 1557 रकबा 3.3250 हैक्टेयर ग्राम चिड़िया सुथारों की ढाणी तहसील सिणधरी में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो. संख्या छः की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1559 रकबा 2.1196 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र तलब अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 दिसंबर 2025 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक से छः का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स खसरा नंबर 1559 के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना विधिविरूद्ध तरीके से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 की अवहेलना करते हुए अपीलांट्स को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है तथा मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की जांच नहीं की गई है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स की भूमि में से किसी प्रकार का वैकल्पिक रास्ता नहीं चलता है। उतरदाता संख्या 1 से 6 भूमि खसरा नंबर 1557 रकबा 3.3250 हैक्टेयर के साथ–साथ खसरा संख्या 1561 के भी खातेदार दर्ज है। उक्त दोनो भूमियॉ आपस में जुड़े हुए है तथा खसरा संख्या 1561 डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। इस कारण रेस्पोडेंट्स को रास्ते आवश्यकता नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या एक से छः द्वारा केवल अपीलांट्स को परेशान करने के लिए रास्ते का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कानूनी एवं विधिक प्रक्रिया पालन किये बिना अपनी मनमर्जी से गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने सें अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04 दिसंबर 2025 को खारिज फरमाया जावे। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2014(1)आर. आर.टी. 40, 2014(1)आर.आर.टी. 488, 2016(1)आर.आर.टी. 649 की न्यायिक नज़ीरे पेश की।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा तलब्र मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। अपीलांट्स द्वारा बताये गये रास्ते के स्थान पर ढाणी बनी हुई है, जहां से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251–ए की मंशाअनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 06.11.2025 के अवलोकन मुताबिक रेस्पो. संख्या एक से छः के आवागमन हेतु मौके पर रास्ते के दो विकल्प बताये गये है। प्रथम विकल्प खसरा नंबर 1559 में से बताया गया है, जिसकी दूरी 80 मीटर बतायी गई है। मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ते की भूमि पर अपीलांट्स का मकान अवस्थित होना बताया गया है। द्वितीय विकल्प अपीलाधीन रास्ता जो खसरा नंबर 1561 में से बताया गया है, जिसकी दूरी 140 मीटर बतायी गई है। अपीलांट्स की ओर से फार्म संख्या तीन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या तीन भीखाराम द्वारा जिला कलक्टर बाड़मेर को दिये गये आवेदन में खसरा नंबर 1561 की भूमि को अपनी पुश्तैनी भूमि बताया गया है तथा इस बाबत वाद संख्या 50/2025 भी विचाराधीन होने के कथन किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट भीखाराम द्वारा उक्त भूमि में पूर्व में रास्ता भी चलायमान होने के कथन किये गये है। खसरा नंबर 1561 की भूमि रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी भूमि होने से वे कानूनन खसरा नंबर 1561 की भूमि में से ही रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना विधिविरूद्ध तरीके से अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ते का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानो एवं धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 156/2025 अनवान अचलाराम बनाम चिमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 04 दिसंबर 2025 निरस्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह खसरा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1561 के खातेदारान् को पक्षकार संयोजित करते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर